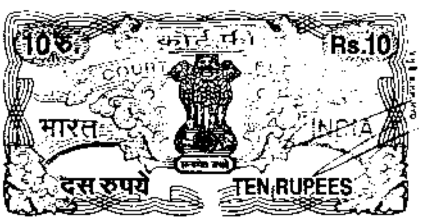

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
प्र.क्र. 1455-दो/2014 निगरानी

बृजेन्द्रसिंह — आवेदक

वि.

रामप्रकाश आदि — अनावेदकगण

शीघ्र सुनवाई किये जाने बावत आवेदन

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि

यह कि आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है जिसमे ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु पेशी 12-6-14 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु निरंतर तारीख पेशी नियत होकर कार्यवाही संचालित है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जाता है तब उस स्थिति मे उक्त पुनरीक्षण आवेदन ही व्यर्थ हो जायेगा।

अतएव निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत पुनरीक्षण मे आज दिनांक 5-6-14 को सुनवाई किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

स्थान ग्वालियर
दिनांक 5-6-14

निवेदक
बृजेन्द्रसिंह — आवेदक
द्वारा अभिभाषक
मुकेश भार्गव एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1455–एक/2014 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
05–06–2014	शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया । आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 72/2011–12/अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 26–4–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिअनुकूल एवं विधिवत होने से तथा उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक द्वारा निगरानी में प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी इसी स्तर पर सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	